BRITISH COLUMBIA | Ministry of Justice

क्राउन काउंसल की भूमिका

- क्राउन काउंसल (सरकारी वकील) ऐसे वकील हैं जो संपूर्ण समाज की ओर से वादी की भूमिका निभाते हैं। क्राउन काउंसल किसी पीड़ित विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

- क्राउन काउंसल, न्यायालय में ब्रिटिश कोलंबिया के अटर्नी जनरल (महान्यायवादी) के नुमाइंदे के तौर पर पेश होते हैं। प्रोविंस के संवैधानिक दायित्व के भीतर जो भी अभियोजन आते हैं, उनका समग्र निगरानी प्राधिकार अटर्नी जनरल के पास होता है।

- ब्रिटिश कोलंबिया में, अभियोजन पक्ष के वकील फैसला करते हैं कि फौजदारी अभियोग लगाया जाएगा या नहीं।
  - पुलिस कथित अपराधों की छानबीन करती है और साक्ष्य जुटाती है।
  - उसके बाद पुलिस क्राउन काउंसल के लिए रिपोर्ट (आरसीसी) तैयार कर उन्हें प्रस्तुत करती है।
  - फिर क्राउन काउंसल मूल्यांकन करता है कि आरोप तय जाएं या नहीं, क्या आरोप तय किए जाएं और किसके खिलाफ़।

- ब्रिटिश कोलंबिया में कैनेडा की फौजदारी संहिता और प्रोविंस के विनियामक उल्लंघनों के तहत उत्पन्न होने वाले सभी उल्लंघनों और अपीलों में, प्रोविंशल क्राउन काउंसल द्वारा अभियोग चलाया जाता है। संघीय कानूनों के तहत कुछ विशेष उल्लंघनों के खिलाफ़, जिनमें ड्रग और आयकर के आरोप शामिल हैं, अभियोग चलाने के लिए संघीय अभियोजन सेवा जिम्मेदार है।

- मामले का अभियोजन पक्ष रखने के लिए क्राउन काउंसल जिम्मेदार हैं। वे अपनी बात के पक्ष में गवाह बुलाते हैं ताकि न्यायालय में सिद्ध कर सकें, प्रमाण प्रस्तुत कर सकें, तथा न्यायाधीश और जूरी को कथित अपराध के ब्यौरे समझा सकें।

- क्राउन काउंसल का दायित्व यह नहीं है कि वह हर हाल में अपराध सिद्ध करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सुनवाई की प्रक्रिया सभी के लिए नि पक्ष हो, यह कि साक्ष्य भली–भांति और सटीक रूप से प्रस्तुत किए जाएं, और न्याय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को बनाए रखा जाए।

- फौजदारी के आरोप अनुमोदित किए जाएं या नहीं, यह तय करने के लिए दो–भाग वाले परीक्षण का प्रयोग किया जाता है: सबसे पहले, पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अपराध सिद्ध होने की पर्याप्त संभावना होनी चाहिए, और दूसरा, अभियोजन जनहित में आवश्यक हो।

- क्राउन काउंसल अपराधों की छानबीन नहीं करते। और न ही व्यक्तिगत जांच मामलों में पुलिस पर उनका अधिकार होता है।

- जब किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाता है, तो क्राउन काउंसल द्वारा न्यायालय के समक्ष सजा का प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन यह न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि किसी उल्लंघन के लिए क्या उपयुक्त दंड दिया जाए।

- अभियोजन सेवा (प्रासक्यूसन सर्विस) का मुखिया असिस्टन्ट डेप्यूटी अटर्नी जनरल (एडीएजी) होता है। एडीएजी के पास सभी फौजदारी अभियोजनों को चलाने और उनके पर्यवेक्षण का अधिकार होता है।

- हालांकि क्रिमिनल जस्टिस ब्रांच (फौजदारी न्याया शाखा), न्याय मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस) का भाग है, तथापि अभियोजन कार्य को सरकार से पर्याप्त अलग रखा गया है, ताकि किसी वास्तविक या महसूस किए जाने वाले अनुचित दबाव की संभावना से बचा जा सके।

क्रिमनल जस्टिस ब्रांच का विज़नः
निर्भय, निष्पक्ष और दक्ष – एक अभियोजन सेवा जिसे जनता का विश्वास हासिल है
www.ag.gov.bc.ca/prosecution-service/